

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरीजोध  
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद जिला बारां  
प्रकरण संख्या :- 73/2017 दावा  
दायरा दिनांक :- 47.04.2017  
निर्णय दिनांक :- 29.06.2017

### उनवान

1. विष्णुशंकर पुत्र धूलीलाल
2. भंवरबाई पुत्री धूलीलाल
3. सावित्रीबाई पुत्री धूलीलाल
4. गीताबाई पुत्री धूलीलाल
5. गायत्रीबाई पुत्री धूलीलाल
6. कृष्णाबाई पुत्री धूलीलाल जाति ब्राहमण निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद

### बनाम

राज्य सरकार जर्ज्य तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट  
निर्णय दिनांक :- 29.06.2017

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 812/434 रकवा 05 बीघा मौजा भावपुरा में स्थित हैं जो वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजियात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते हैं इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 31.01.2011 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 31.01.2011 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ज्य सम्मन तलव किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भावपुरा संवत 2065-68 खाता संख्या 285 पेश की गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प भावपुरा पर उपस्थित हुए। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करवा

  
उपखण्ड अधिकारी  
छीपाबडौद जिला बारां

(2)

पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भावपुरा संवत 2065-68 के आराजी ख0नं0 812/434 रकवा 5 बीघा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। वादीगण अपने खाते एवे कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

**:: क्रियात्मक आदेश ::**

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प भावपुरा पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम भावपुरा के ख0नं0 812/434 रकवा 5 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
छीपाबडौद जिला बारा

संख्या 73/2017	धारा अन्तर्गत 89, RTA	निर्णय दिनांक 29.06.2017
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा	आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद जिला बारा	
उपस्थिति : अभिभाषक वादी- श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी-	

### वाद शीर्षक

### उनवान

1. विष्णुशंकर पुत्र धूलीलाल
2. भंवरबाई पुत्री धूलीलाल
3. सावित्रीबाई पुत्री धूलीलाल
4. गीताबाई पुत्री धूलीलाल
5. गायत्रीबाई पुत्री धूलीलाल
6. कृष्णाबाई पुत्री धूलीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद

### बनाम

राज्य सरकार जयें तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प भावपुरा पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम भावपुरा के ख0नं0 812/434 रकवा 5 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।  
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक, 29.06.2017 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर  
उपखण्ड अधिकारी  
छीपाबडौद जिला बारा  
छीपाबडौद

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/ लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/ क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( %)		
10.	योग		